कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 04.01.2021 द्वारा श्री मूल सिंह चौहान, वरिष्ठ व्याख्याता (समकक्ष प्रधानाचार्य–राउमावि) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) जोधपुर को मेजर शैतान सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हवेली एरिया शैतान सिंह नगर, लोहावट जिला जोधपुर स्थानान्तरित किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध श्री मूल सिंह चौहान द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 2476/2021 मूल सिंह चौहान बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई ।

याचिका संख्या 2476/2021 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 11.02.2021 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.01.2021 का क्रियान्वयन याचिकार्थी मूल सिंह चौहान के पदस्थापन के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।

अतः माननीय न्यायालय के उक्त अन्तरिम आदेश की अनुपालना में श्री मूल सिंह चौहान वरिष्ठ व्याख्याता (समकक्ष प्रधानाचार्य–राउमावि) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) जोधपुर में माननीय न्यायालय के याचिका में पारित आगामी/अन्तिम निर्णयाधीन पूर्ववत पदस्थापित रहेंगे एवं कमलेश पंवार, वरिष्ठ व्याख्याता (समकक्ष प्रधानाचार्य–राउमावि) को आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाकर मुख्यालय कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर किया जाता है। सम्बन्धित अधिकारी तत्काल आदेश की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/मूल सिंह/2476/2021/178 दिनांकः 16.02.21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर संभाग, जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जोधपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जोधपुर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यो को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)